

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12-जनवरी, 2018

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।


विषय- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।  
संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 7-11-2017.

—••—

संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया रखी गयी थी ।

2/ कतिपय विभागों में आवश्यक प्रणाली स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक के लिए स्थगित रखा गया था । स्थगन अवधि में यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से दिनांक 31-3-2018 तक वृद्धि की जाती है ।

3/ सभी संबंधित विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं ऊपरवर्णित समय सीमा में कृपया आवश्यक रूप से विकसित करना सुनिश्चित करें ।

  
(अजय चौबे)


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 12-जनवरी, 2018

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

  
(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग